

आसाराम को फिर 1 जुलाई तक अंतरिम जमानत



जोधपुर,एजेंसी। जोधपुर के आश्रम में नाबालिग से रेप के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट से भी राहत मिली है। कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत 1 जुलाई तक बढ़ा दी है। हाईकोर्ट ने आसाराम को सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्व में जारी शर्तों का पालन करने के लिए कहा है। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार की खंडपीठ में सोमवार को सुनवाई हुई।

आसाराम 14 जनवरी से 31 मार्च तक अंतरिम जमानत पर था। ये पीरियड खत्म होने पर 1 अप्रैल को आसाराम ने सरेंजर कर दिया था। उसी रात वह प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो गया था और अभी भी वहीं पर भर्ती है।

इंडिगो फ्लाइट में महिला की मौत

छत्रपति संभाजीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग



मुंबई,एजेंसी। मुंबई से चाराणसी जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में 89 साल की महिला की मौत हो गई। इसके बाद विमान की महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि महिला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली थी। उनका नाम सुशीला देवी था। वे मुंबई से फ्लाइट में सवार हुई थीं। उड़ान के दौरान उनकी तबीयत खराब हुई।

मेडिकल इमरजेंसी की वजह से 6 अप्रैल रात करीब 10 बजे विमान को चिकलथाना एयरपोर्ट पर उतारा गया। एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम ने उनकी जांच की, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

मणिपुर में मुस्लिम भाजपा नेता का घर जलाया

नए वक्फ बिल का समर्थन किया था



नई दिल्ली,एजेंसी। नए वक्फ कानून का समर्थन करने पर मणिपुर के थोउबल जिले में रविवार को भीड़ ने भाजपा बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष असगर अली मकाकमयुम के घर में तोड़फोड़ की और आग लगा दी।घटना के बाद असगर अली ने माफी मांगी और केंद्र सरकार से नए वक्फ कानून को वापस लेने की अपील की। उन्होंने पोस्ट में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया। असगर अली ने लिखा - कृपया इस मुद्दे पर राजनीति न करें। मैंने जो कुछ भी कहा, अगर उससे किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो मैं माफी चाहता हूं। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस कानून को वापस ले लिया जाए। इस बीच, आज राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगा।



दैनिक खोज खबर

खबरों की सच्चाई से रू-ब-रू

देश में अगले 11 दिन भीषण गर्मी का अनुमान

बाड़मेर में 26 साल का रिकॉर्ड टूट, म.प्र. में हीटवेव; जार्ने मौसम विभाग का अलर्ट

नई दिल्ली,एजेंसी। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। आज सोमवार को 14 जिलों में हीटवेव का अलर्ट है। रविवार को बाड़मेर-जैसलमेर में पारा 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। पिछले 26 साल में बाड़मेर में अप्रैल के पहले हफ्ते में यह सबसे ज्यादा तापमान है। अगले कुछ दिन गर्म से राहत मिलने की संभावना नहीं है।

मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। रविवार को भोपाल का तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इस सीजन में यह सबसे ज्यादा है। प्रदेश के 13 जिलों में तापमान 40 से 42.2 डिग्री के बीच



रहा। मौसम विभाग के अनुसार, आज नीचम, मंदसौर, भिंड, मुरैना, श्योपुर और रतलाम में लू चलने की संभावना है।

मौसम विभाग ने 11 दिन तक देश के अधिकतर राज्यों में लू चलने और अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रहने अनुमान लगाया है। 10 अप्रैल तक राजस्थान, गुजरात के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से ऊपर जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में इस साल अप्रैल से जून तक तापमान सामान्य से ज्यादा रहने और हीटवेव चलने की आशंका है। दिन का तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहने का अनुमान

है। रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा रह सकता है। दिल्ली में तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा बीते दिन दिल्ली का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 3.1 डिग्री ज्यादा है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री कम 18.5 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर में सोमवार को हीटवेव चलने और अधिकतम तापमान 41 डिग्री के आसपास रह सकता है। आज पूर्वोत्तर राज्यों में ओले गिरने के आसार केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, मेघालय और अंडमान-निकोबार में सोमवार को गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।

राहुल बोले- ट्रंप की वजह से शेयर बाजार में गिरावट

पटना में कहा- देश में गरीब, आदिवासी सेकंड सिटीजन

मोदी जी माय एक्सपेरिमेंट विथ लाइज लिखेंगे

बेगूसराय,पटना,एजेंसी। सोमवार को बिहार दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार और RSS पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा- महात्मा गांधी ने माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ लिखा था। मोदी जी शायद माय एक्सपेरिमेंट्स विथ लाइज लिखेंगे। RSS पर हमला बोलते हुए कहा, देश के संविधान में सावरकर की सोच नहीं है। इसमें महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू और अबेडकर जैसे लोगों की सोच है। आज इस देश में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग, ईबीसी सेकंड सिटीजन है। शेयर बाजार में भारी गिरावट पर राहुल ने कहा,



अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने शेयर बाजार की ध्वजियां उड़ी दी है। आज मार्केट धराशाई हो गया है।

बिहार में हाल ही में बदले गए कांग्रेस जिलाध्यक्षों का

जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पहले हमारे जिलाध्यक्षों की लिस्ट में 2 तिहाई अपर कास्ट के लोग थे, लेकिन अब हमने दो तिहाई दलित-गरीबों को शामिल किया है।

कांग्रेस बोली- राज्य के नौजवानों को न्याय का हक दिलाकर रहेंगे

पदयात्रा के दौरान ही कांग्रेस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि आज राहुल गांधी ने पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा में कदमताल कर यात्रा के संदेश को मजबूती के साथ बुलंद किया। बिहार के युवाओं को पलायन नहीं, उन्हें खुद के प्रदेश में रोजगार मिले। यह हमारी यात्रा का लक्ष्य है। यह यात्रा बिहार के संघर्ष की आवाज और उम्मीद है। हम वहाँ से अन्याय झेल रहे राज्य के नौजवानों को न्याय का हक दिलाकर रहेंगे।

ममता बोलीं: काबिल टीचर्स के लिए कोर्ट का फैसला अन्यायपूर्ण

मत समझिए हमने इसे स्वीकार किया, यह कहने के लिए जेल भेज सकते हैं

कोलकाता,एजेंसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को उन शिक्षकों और स्टाफर्स से मुलाकात की, जिनकी भर्ती सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश से बंधे हुए हैं। यह फैसला उन कैडिडेट्स के लिए अन्याय है, जो काबिल शिक्षक थे। ममता ने यह मुलाकात कोलकाता के नेताजी इनडोर स्टेडियम में की। इस दौरान उन्होंने कहा, +आप लोग यह मत समझिए कि हमने फैसले को स्वीकार कर लिया है। हम पत्थरदिल नहीं हैं। मुझे ऐसा कहने के लिए जेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है। + दरअसल, 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल भर्ती घोटाले से जुड़े कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमिशन की 2016 में 25,752 शिक्षकों और स्टाफर्स की नियुक्ति को अवैध बताते हुए भर्ती रद्द कर दी थी। अदालत ने



सुवेंदु अधिकारी बोले- ममता मुख्य आरोपी, उन्हें जेल जाना होगा
भाजपा लगातार इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे और उन्हें जेल भेजने की मांग कर रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को भाजपा विधायकों के साथ मिलकर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिकारी ने कहा- ममता बनर्जी को जेल जाना होगा। वह मुख्य आरोपी हैं। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने नौकरियों के बदले 700 करोड़ रुपए की रिश्तत ली है।

कहा था कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां थीं।

तेलंगाना सरकार का बड़ा कदम; 400 एकड़ जमीन मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया



नई दिल्ली,एजेंसी। तेलंगाना सरकार ने कांचा गाचीबोवली में 400 एकड़ जमीन से जुड़े मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में कथित तौर पर झूठी कहानियां फैलाने के लिए एआई-जनित सामग्री का इस्तेमाल करने के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।यह याचिका मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा कथित झूठे आख्यानो पर गंभीरता से संज्ञान लेने के बाद दायर की गई थी, जो हैदराबाद विश्वविद्यालय से सटे 400 एकड़ भूमि पर आईटी अवसंरचना विकसित करने के सरकार के कदम में बाधा डाल रहे हैं।

उन्होंने 5 अप्रैल को अधिकारियों को हैदराबाद विश्वविद्यालय की भूमि पर कथित अतिक्रमण के संबंध में भ्रामक एआई सामग्री के निर्माण की जांच के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया था।

जयपुर जिंदा बम केस:

5 नए गवाहों ने पलटी बाजी:4 आरोपियों के खिलाफ 112 सबूत से मजबूत हुआ केस

अब सख्त सजा का इंतजार

जयपुर,एजेंसी। जयपुर में 13 मई 2008 को हुए सिलसिलेवार बम ब्लास्ट मामले से जुड़े जिंदा बम केस में कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। सरवर आजमी, मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान और शहबाज को 8 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी। ये चारों वही हैं, जो सीरियल बम ब्लास्ट के मुख्य केस में कमजोर इन्वेस्टिगेशन के चलते बरी हुए थे।एक जिंदा बम चांदपोल बाजार में रामचंद्र जी मंदिर के सामने रेंजर साइकिल पर मिला था। इस केस में बाजी पलट गई। कोर्ट में 5 नए गवाह व सबूत हो इस केस की मजबूती का आधार बने। स्पेशल कोर्ट के जज

रमेश जोशी ने आरोपियों को जिन धाराओं में दोषी माना गया है, उसमें अधिकतम उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। राजस्थान सरकार (अभियोजन पत्र) की ओर से क्या दलील व सबूत पेश किए गए? इस केस की पैरवी से जुड़े सरकारी वकील (विशेष लोक अभियोजक) ने बताया कि कोर्ट में क्या-क्या दलीलें दी गईं?



रिटायर्ड मजिस्ट्रेट के केस में पहली बार हुए बयान

सरकारी वकील सागर तिवाड़ी ने बताया कि 8 सीरियल ब्लास्ट केस में चारों आरोपियों को हाईकोर्ट ने जब बरी किया तब जांच में कई कमियां बताई थीं। उन कमियों दूर किया गया। राज्य सरकार ने 5 नए गवाहों के बयान भी कराए हैं। इसमें तत्कालीन डीप्टेक्लर राजेंद्र नैन, तत्कालीन एडीजी ए के जैन, पत्रकार प्रशांत टंडन और साइकिल तैयार करने वाले दिनेश महावर शामिल हैं। भोपाल के तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी तिवाड़ी के स्पेशल कोर्ट में 4 अक्टूबर 2023 को पहली बार बयान दर्ज हुए। तत्कालीन सीजीएम ने अपनी गवाही में कहा कि उन्होंने सैफुर्रहमान का रिमांड दिया था।

कोलकाता में रामनवमी रैली पर टारगेट

बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार का दावा- गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए, पुलिस ने कहा- परमिशन नहीं थी

कोलकाता,एजेंसी। पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष और सांसद सुकांत मजुमदार ने रविवार को दावा किया कि कोलकाता के पार्क सर्कस सेवन पॉइंट इलाके में रामनवमी की रैली पर हमला हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर वीडियो शेयर कर मजुमदार ने लिखा- सिर्फ भगवा झंडा ले जाने पर गाड़ियों पर पत्थर बरसाए गए। शोरो (विंडशील्ड) तोड़ दिए गए। अराजकता फैलाई गई। यह कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि टारगेट हिंसा थी।

सुप्रीम कोर्ट परिसर के 26 पेड़ों को ट्रांसप्लांट की मंजूरी:260 नए पेड़ लगाने के शर्त पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया

नई दिल्ली,एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट भवन के विस्तार के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने परिसर में खड़े 26 पेड़ों के ट्रांसप्लांट की मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत नए कोर्टरूम, कॉन्स्टीट्यूशनल कोर्ट, जजों के चैबर और वकीलों के लिए अच्छी सुविधाएं बनाई जाएंगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट प्रोजेक्ट डिजिटन-1 और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (CPWD) ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 26 पेड़ ट्रांसप्लांट करने की परमिशन मांगी थी। इसको जस्टिस जस्मीत सिंह की बेंच ने मंजूरी दे दी।इसके बाद अब परिसर में मौजूद

16 पेड़ों को सुप्रीम कोर्ट गेट A और B के बीच बगीचे की किनारे वाली जगह पर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। वहीं 10 पेड़ गेट नंबर 1 के पास एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के कोने में शिफ्ट होंगे। मंजूरी से पहले कोर्ट ने 260 नए पेड़ लगाने का शर्त रखा था दिल्ली हाईकोर्ट ने पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने की इजाजत देने से पहले 26 पेड़ों के बचले 260 नए पेड़ लगाने की शर्त रखी थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वकील सुधीर मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि ये सभी 260 पेड़ सुंदर नर्सरी में लगाए जा चुके हैं।हाईकोर्ट ने कहा-



ट्रांसप्लांट के लिए ट्री ऑफिसर नया स्पीकिंग ऑर्डर दे कोर्ट ने कहा कि पेड़ ट्रांसप्लांट को लेकर ट्री ऑफिसर का पहले वाला आदेश (स्पीकिंग ऑर्डर) नहीं माना गया। इस कारण ट्री ऑफिसर

को दो हफ्तों के अंदर नया स्पीकिंग ऑर्डर देना होगा। इसमें दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट (DPTA) और पहले के कोर्ट फैसलों के आधार पर पर्मिट देना होगा।

पिछले दिनों तेलंगाना में पेड़ काटने का विरोध हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया

पिछले महीने तेलंगाना में हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास 400 एकड़ जमीन पर पेड़ों की कटाई हुई। इसको लेकर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बड़ी संख्या में विरोध किया। इस पर जब देशभर में विरोध शुरू हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास की जमीन पर किसी भी तरह की गतिविधि पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा- तेलंगाना सरकार को जमीन पर पेड़ों की सुरक्षा के अलावा कोई गतिविधि नहीं करनी चाहिए। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राज्य में पेड़ों की कटाई को बहुत गंभीर बताया। पीठ ने कहा- तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की रिपोर्ट इसकी खतरनाक तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए हैं। इसके अलावा पीठ ने तेलंगाना के मुख्य सचिव से यूनिवर्सिटी के पास की जमीन पर पेड़ काटकर काम शुरू करने की जल्दी पर जवाब मांगा है। साथ ही पूछा है कि क्या राज्य ने इस तरह की गतिविधियों (पेड़ों की कटाई) के लिए पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का असेसमेंट सार्टिफिकेट लिया है।

